न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

<table>
<tr><td colspan="3">राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम भूराराम पुत्र पन्नाराम जाट निवासी राजलिया तह. नावां जिला नागौर</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रार्थना–पत्र नम्बर 184/2021   RCMS No.2021/226</td></tr>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>26/07/2023</td><td>पत्रावली अप्रार्थी नरसीराम पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट सा. राजलिया तहसील नावा के निवेदन पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी भूराराम पुत्र पन्नाराम जाट सा. राजलिया तहसील नावां के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 260 रकबा 1.7050 हैक्टर बारानी तृतीय को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 22.06.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी के पुत्र नरसीराम पुत्र स्व. भूराराम जाट की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी के पुत्र ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है उन्होने उपरोक्त भूमि उनकी पैतृक सम्पति की कृषि भूमि आई हुई है, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकार्ड में उसके स्वर्गीय पिता भूराराम के नाम से दर्ज है तथा पिताजी भूराराम जी का स्वर्गवास हो चुका है, उपरोक्त कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग नही किया जा रहा है भविष्य में गैर कृषि प्रयोजनार्थ करने पर नियमानुसार रूपान्तरण की कार्यवाही पश्चात ही उपयोग में लिया जावेंगा तथा स्थगन आदेश होने के कारण विरासत का नामान्तकरण भी दर्ज नही हो रहा है एवं रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है परन्तु माननीय न्यायलय का स्थगन होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, अतः जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज फरमया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि दीपपुरा के खसरा नम्बर 260 रकबा 1.7050 हैक्टर भूमि में केवल</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कृषि प्रयोजन काम मे ली जा रही है तथा पिता की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, परन्तु माननीय न्यायायलय से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विरासत का नामान्तरकण दर्ज नही हो पा रहा है। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज,**RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)
26.07.2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:49 IST
Reason: SelfAttested